(2)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज रामप्रकाश चौधरी बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ) सू.अ.अ. अपील संख्या 03/2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.01.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी रामप्रकाश चौधरी पुत्र रामसुख चौधरी जाति जाट निवासी प्लॉट नं. 946, लक्ष्मणनगर सी, रमजान हत्था, बनाड़ रोड़, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 06.11.18 में उसके द्वारा (1) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ जिला जोधपुर ने जनवरी 2016 से आज दिनांक तक भूमि रूपान्तरण नियम, 2007 के तहत कुल कितने प्रकरण, किन किन गांवों के किसकिस प्रयोजनार्थ, खसरा नम्बर व रकबा तथा पक्षकारान के नाम पते सहित प्रार्थना पत्र आवक व निर्णय की तारीख स्पष्ट पठनीय सम्पूर्ण विवरण के साथ सूचना व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ) तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ) से जरिये पत्रांक 108 दिनांक 15.01.19 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अवगत कराया गया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना तैयार कर पत्रांक आरटीआई/2018/171 दिनांक 28.12.18 रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भिजवाई जा चुकी है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को सूचना प्रेषित की जा चुकी है अतः इस स्टेज पर अपील निरस्त योग्य होने से निरस्त की जा चुकी है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	